भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3334

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

ओडिशा में लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों का सौर ऊर्जा से संचालन

3334. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के जल-संकट वाले क्षेत्रों, विशेषकर बोलंगीर और सोनपुर में लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने लिफ्ट सिंचाई पॉइंट्स को सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है और इसके लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ओडिशा में सौर ऊर्जा चालित सिंचाई प्रणालियों के समय पर कार्यान्वयन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास सौर ऊर्जा चालित सिंचाई प्रणाली अपनाने वाले किसान सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन या राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल शक्ति मंत्रालय की किसी भी स्कीम के अंतर्गत ओडिशा में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली को सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने से संबंधित कोई परियोजना नहीं है। तथापि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) स्कीम के अंतर्गत, ओडिशा को 16,441 सौर कृषि पंप आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 5,666 पंप स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें बलांगीर जिले में 1,549 और सुबरनपुर (सोनपुर) जिलों में 26 पंप शामिल हैं। इसके लिए, स्कीम के व्यक्तिगत पंप सौरीकरण (आईपीएस) घटक के अंतर्गत ओडिशा को कुल 8.29 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(ग): पीएम-कुसुम स्कीम ओडिशा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) की है। इस स्कीम के अंतर्गत निधिंया एसआईए द्वारा स्थापना की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट और स्कीम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के आधार पर जारी की जाती है।

(घ): नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय पीएम-कुसुम स्कीम के अंतर्गत, किसानों, क्लस्टर सिंचाई प्रणालियों, जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) आदि को स्कीम के व्यक्तिगत पंप सौरीकरण घटक के

अंतर्गत सौर ऊर्जा चालित सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए पात्र केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)/सब्सिडी प्रदान कर रहा है। उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी का विवरण निम्नवत है;

i. एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 30% या निविदा में पाई गई सिस्टम की कीमत, जो भी कम हो, का सीएफए प्रदान किया जाता है।

ii. तथापि, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित पूर्वोत्तर राज्यों में, एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 50% या निविदा में पाई गई सिस्टम की कीमत, जो भी कम हो, का सीएफए प्रदान किया जाता है।

iii. इसके साथ-साथ, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम से कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। शेष लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।

*****